

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28—मार्च 6, 2009 (फाल्गुन 9, 1930)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28—MARCH 6, 2009 (PHALGUNA 9, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 3 [PART I—SECTION 3]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी असांविधिक नियमाविलयों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to the Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2009

संकल्प

सं. 1, सं. 10(02)/आई/रक्षा (पुनर्वास)/2007--

- 1. भारत सरकार ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सृजन की अधिसूचना दी थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को कार्य आबंटन नियमावली, 1961 के तहत् निम्नलिखित कार्यों का आबंटन किया गया था:--
- भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के पुनर्वास तथा कल्याण के सभी पहलू जिनमें राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क शामिल है;
- 2. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना;

- 3. पुनर्वास महानिदेशालय तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले;
- 4. निम्न का प्रशासन :--
 - (i) सेना पेंशन विनियमावली, 1961 (भाग I तथा II);
 - (ii) वायुसेना पेंशन विनियमावली, 1961 (भाग I तथा II);
 - (iii) नौसेना (पेंशन) विनियमावली, 1964 तथा
 - (iv) सशस्त्र सेना के कार्मिकों के लिए हताहत पेंशन-संबंधी लाभ हेतु पात्रता नियमावली, 1982
- 2. भारत सरकार के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सृजन के बाद अब पुनर्वास महानिदेशालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड तथा भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना जैसे संगठनों को इस नये विभाग के अधीन कर दिया गया है। इसके तहत् यह स्पष्ट किया जाता है कि रक्षा मंत्रालय में सरकार का अंग होने के नाते पुनर्वास महानिदेशालय की प्रक्रिया से संबंधित पूर्व के कार्यकारी अनुदेशों को समाप्त माना जाए।
- 3. एतद्द्वारा यह संकल्प लिया जाता है कि भारत सरकार ने पुनर्वास महानिदेशालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड तथा भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना संगठनों को भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है तथा इन्हें भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सम्बद्ध कार्यालय नामित किया जाएगा तथा इन तीनों संगठनों के सभी फील्ड कार्यालयों को अधीनस्थ कार्यालय माना जाएगा।

आदेश

संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया जाता है। संकल्प की एक-एक प्रति को निम्नलिखित को प्रेषित करने का आदेश दिया जाता है:--

- 1. सेना मुख्यालय
- 2. नौसेना मुख्यालय
- 3. वायुसेना मुख्यालय
- 4. पुनर्वास महानिदेशालय
- 5. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड
- 6. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
- 7. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- 8. राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक
- 9. सभी अन्य संबंधित अधिकारी

एस. एम. आचार्य सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE)

New Delhi, the 29th January 2009

RESOLUTION

No. 1, No. 10(02)/I/D (Res.)/2007—

- 1. The Government of India, notified the creation of the Department of Ex-Servicemen Welfare which was published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 22nd September, 2004. The Department of Ex-servicemen Welfare was allocated the following functions under the Allocation of Business Rules, 1961:—
 - 1. All aspects of re-settlement and welfare of ex-servicemen and their dependents, including liaison with State Governments;
 - 2. Ex-Servicemen's Contributory Health Scheme;
 - 3. Matters relating to the Directorate General of Resettlement and Kendriya Sainik Board;
 - 4. Administration of:
 - (i) The Pension Regulations of the Army, 1961 (Part I and II).
 - (ii) The Pension Regulations for the Air Force, 1961 (Part I and II);
 - (iii) The Navy (Pension) Regulations, 1964 and
 - (iv) The Entitlement Rules to Casualty Pensionary Awards to the Armed Forces Personnel, 1982.
- 2. By the creation of Department of Ex-Servicemen Welfare under the Ministry of Defence, the Organisation i.e. Directorate General Resettlement (DGR), Kendriya Sainik Board (KSB) and Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) have now been placed under the new Department. It is thereby stated that the earlier executive instructions regarding the procedure for the DGR as an organ of the Government in the Ministry of Defence stand superseded.
- 3. It is hereby resolved that the Government of India has decided to place Organizations—Directorate General Resettlement (DGR), Kendriya Sainik Board (KSB) and Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) under the administrative control of Department of Ex-Servicemen Welfare and shall be designated as the attached offices of Department of Ex-Servicemen Welfare and all Field Offices of the 3 organizations would be treated as Subordinate Offices.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to:

- 1. Army Headquarters.
- 2. Naval Headquarters.
- 3. Air Force Headquarters.
- 4. Directorate General Resettlement.
- 5. Kendriya Sainik Board.
- 6. Ex-Servicemen Contributory Health Scheme.
- 7. All the Ministries/Departments of Government of India.
- 8. State Governments/Administrators of Union Territories.
- 9. All other concerned.

S. M. ACHARYA Secretary